



बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि 26 फाल्गुन, 1938 (श.)
17 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 15

1.	शिक्षा विभाग	-	-	12
2.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	-	-	01
3.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	-	-	02
				<hr/>
				कुल योग – 15

मदरसा शिक्षकों का वेतन भुगतान

110. श्री सतीश कुमार : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मदरसा इस्लामिया शाह गाजिया, श्रीपुर बाजार, प्रखंड एवं थाना-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण में स्थापित है;
- (ख) क्या यह सही है कि 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियमित समय से होता है परंतु 205 कोटि के शिक्षकों का भुगतान मदरसा बोर्ड से होने के बावजूद भी समय पर नहीं किया जाता है, आवंटन के बावजूद शिक्षकों सहित कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं, जबकि सचिव, मदरसा बोर्ड द्वारा बहाना बनाकर टाल-मटोल की नीति अपनायी जाती है, पूर्व में 205 कोटि के शिक्षकों का वेतन फरवरी 2016 से आजतक लंबित है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त 205 कोटि के शिक्षकों को फरवरी से आजतक का वेतन दिलाकर शिक्षकों को भुखमरी एवं उनकी पारिवारिक स्थिति को सुधारना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दिव्यांग व्यक्ति की नियुक्ति

111. श्री सुमन कुमार : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के लदानियां प्रखंड अंतर्गत लदानियां पंचायत वोदामटोला निवासी श्री राम नारायण मंडल एक दिव्यांग व्यक्ति हैं;
- (ख) क्या यह सही है कि पटना हाई कोर्ट के केस संख्या-16031/2011, दिनांक 11.5.2016 के पारित आदेश में श्री राम नारायण मंडल को तीन माह के भीतर पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का दावा बनता है;
- (ग) क्या यह सही है कि संबंधित विभागीय पदाधिकारी की हठधर्मिता के कारण पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति अद्यतन नियोजन से वंचित है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति को पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कर्मियों का वेतन भुगतान

112. श्री मंगल पाण्डेय : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि बिहार में पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत ही सभी पुस्तकालय कार्यरत हैं, जिसके तहत सिन्हा लाइब्रेरी भी आती है;
- (ख) क्या यह सही है कि सिन्हा लाइब्रेरी में कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से ही मिलता है;
- (ग) क्या यह सही है कि सिन्हा लाइब्रेरी को अनुदान की राशि नहीं मिलने से कर्मियों का वेतन भुगतान 20 महीने से नहीं हो पाया है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिन्हा लाइब्रेरी के कर्मियों को वेतन देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट

113. श्री लाल बाबू प्रसाद : क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगातार पांच साल से 70 फीसदी सीटें खाली रह जाएंगी, उसे अगले वर्ष बंद कर दिया जाएगा;
- (ख) क्या यह सही है कि महानगरों के बाहर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरिंग के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह जाती हैं;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त अर्हता नहीं रखने वाले कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद नहीं हों, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है, नहीं तो क्यों?

उत्तर : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा approval hand book process 2017-18 में पृ.-39/प. पर अंकित कंडिका (e) के अनुसार किसी पाठ्यक्रम में नामांकन 30 प्रतिशत से कम लगातार 5 वर्ष तक होने पर उस पाठ्यक्रम को अभातशिप द्वारा अगले साल के लिए बंद करने का प्रावधान है;

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

राज्य द्वारा संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में B.C.E.C.E. बोर्ड द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नामांकन हेतु सीटों का आवंटन किया जाता है। विगत पांच वर्षों में कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता एवं सीटों आवंटन की वर्षवार विवरणी निम्नवत है :-

Year	Intake Seat Capacity	No. of Seat Allotted by BCECE	No. of Vacant Seat
2012	1675	1672	03
2013	1759	1738	21
2014	1759	1758	01
2015	1633	1603	30
2016	3082	2939	143

(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

राज्य द्वारा संचालित सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत सीटों पर प्रतिवर्ष लगभग सभी सीटें भर जाती हैं।

उल्लेखनीय है कि तकनीकी संस्थानों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होता है।

योजना का क्रियान्वयन

114. श्री नीरज कुमार : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर की पहाड़ी के पांच किलोमीटर के दायरे में ऐतिहासिक स्थलों की खोज एवं उत्खनन का सर्वे कराने का फैसला लिया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि राजगीर जंगलों को सफारी के तहत विकसित करने की योजना है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु क्या-क्या योजना बनायी है और इसे कबतक मूर्त रूप देगी?

पदों को भरने का विचार

115. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक का पद तदर्थ व्यवस्था के तहत संचालित है, जिससे पठन-पाठन और पढ़ाई की गुणवत्ता भी बाधित हो रही है;
- (ख) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्राचार्यों की सीधी नियुक्ति बाधित रहने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो गई है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देशित कर विद्यालयों के पठन-पाठन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सीधी नियुक्ति द्वारा प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्यों के पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नियुक्ति की प्रक्रिया

116. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं, जिसपर नियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक इस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त कबतक

117. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि गया शहर में अवस्थित अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय एक प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय है तथा इसी प्रांगण में अनुग्रह कन्या मध्य विद्यालय भी है;
- (ख) क्या यह सही है कि दोनों विद्यालयों का भवन सरकारी है;

- (ग) क्या यह सही है कि अनुग्रह माध्यमिक कन्या विद्यालय का भवन प्रधानाचार्य के द्वारा किराये पर संजय गांधी महाविद्यालय और एक व्यापारी के परिवार को दे दिया गया है;
- (घ) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की मिली-भगत के कारण इसे अवांछित तत्वों से सरकारी आदेश के बाद भी मुक्त नहीं कराया गया है;
- (ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालिकाओं की सुरक्षा एवं सरकारी भवन के अतिक्रमण से विद्यालय परिसर को मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शिक्षक नियमावली का निर्माण

118. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि राज्य में लगभग एक हजार से अधिक मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित किये गये हैं;
- (ख) क्या यह सही है कि इन उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से नियुक्त अथवा प्रभारी प्राथमिक शिक्षक ही प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रभार में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक उन विद्यालयों में तनाव और कुंठा की स्थिति में काम कर रहे हैं और इन सभी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में भयंकर विवाद की स्थितियां हैं;
- (घ) क्या यह सही है कि इन उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कोई सेवाशर्त नियमावली भी नहीं है;
- (ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सुसंगत नियमावली का निर्माण कबतक करना चाहती है?

भूमि उपलब्ध कबतक

119. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

- (क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय है। वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय का शिक्षण कार्य एम.पी.उच्च विद्यालय, बक्सर में होता है;

- (ख) क्या यह सही है कि केन्द्रीय विद्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण बच्चों को पढ़ने में कठिनाई उठानी पड़ती है;
- (ग) क्या यह सही है कि विद्यालय के निर्माण हेतु मौजा बक्सर किला में 3.81 एकड़ जमीन जो जल संसाधन विभाग की भूमि है, का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार केन्द्रीय विद्यालय बनाने के लिए कबतक भूमि उपलब्ध करना चाहती है, यदि, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्कूलों का निबंधन

120. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि किसी भी निजी स्कूल संचालन के लिए सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के तहत निबंधन कराना होता है या ट्रस्ट से निबंधित होना होता है;
- (ख) क्या यह सही है कि आर.टी.ई. का पालन नहीं करनेवाले 1190 स्कूलों ने निबंधन ही नहीं कराया है, फलतः तीन लाख अस्सी हजार आठ सौ बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है?

प्रबंध समिति का गठन

121. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि बिहार गजट (असाधारण अंक) पटना, दिनांक 14 नवम्बर, 2013 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के सचिव के अध्याय V की धारा-17 के तहत बिहार के प्रत्येक अनुदानित मध्य विद्यालय/उच्च विद्यालय में दानदाता सदस्य या उनकी सहमति से अध्यक्ष बनाना है;
- (ख) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के ग्राम-बिरा भगवानपुर, अंचल-मखदुमपुर के ग्रामीणों द्वारा अनुदानित कन्या उच्च विद्यालय (कोड-84509) में नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है;

- (ग) क्या यह सही है कि दानदाता के उत्तराधिकारी के जीवित रहते विद्यालय से दूर रहनेवाले बाहरी व्यक्तियों को प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रबंध समिति में शामिल कर लिया गया है, जिससे विद्यालय का विकास ठप्प है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली के आलोक में कार्रवाई करते हुए उक्त विद्यालय में दानदाता सदस्य के परिवार को शामिल करते हुए प्रबंध समिति को पुर्नगठित करेगी, यदि हां तो कबतक?

मोइनूल हक स्टेडियम का जीर्णोद्धार

122. श्री सूरज नंदन प्रसाद : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राज्य में खेल तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए संकल्पित है;
- (ख) क्या यह सही है कि पटना का मोइनूल हक स्टेडियम पिछले दस वर्षों से जीर्ण-शीर्ण है जिससे पटना सहित राज्य के लाखों खेलप्रेमियों में घोर निराशा है;
- (ग) क्या यह सही है कि पटना के मोइनूल हक स्टेडियम में 1996 के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं हो सका है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोइनूल हक स्टेडियम के जीर्णोद्धार एवं इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्कर्मित कबतक

123. श्री टुनजी पाण्डेय : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली के नेतवार ग्राम में एक उत्कर्मित मध्य विद्यालय अवस्थित है;

- (ख) क्या यह सही है कि उक्त गांव के अगल-बगल कोई दूसरा हाई स्कूल नहीं रहने से ग्रामीण बच्चों को काफी दूर के विद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ता है जिससे बरसात में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आदेश का अनुपालन

124. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 2838, दिनांक 20.12.2016 के द्वारा प्रोन्नति / पदस्थापन सूची में विसंगति को लेकर शिक्षकों द्वारा अपील विभिन्न तिथियों में आर.डी.डी., मुंगेर के यहां की गई;
- (ख) क्या यह सही है कि पत्रांक-63, दिनांक 19.01.2017 द्वारा खंड 'क' में वर्णित अपील में पदस्थापन की सूची को संशोधित करने का आदेश डी.ई.ओ., मुंगेर को दिया गया, लेकिन उस पर अबतक डी.ई.ओ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर.डी.डी., मुंगेर द्वारा डी.ई.ओ., मुंगेर को दिए गये अपीलीय आदेश का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

पटना
दिनांक : 17 मार्च, 2017

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्